न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2021/00134

धनराज पुत्र छीतर जाति धाकड़ निवासी जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–अपीलान्ट

बनाम

(1). प्रहलाद पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(2). बद्री पुत्र छीतर जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(3). श्योराज पुत्र छीतर जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(4). रामरतन पुत्र दल्ला जाति धाकड़ निवासी जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)। मृतक के बजाय–
  4/1. कन्हैयालाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी जरखोदा मृतक के बजाय–
    4/1/1. गीता पत्नी कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
    4/1/2. सांवरा कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
    4/1/3. मैना पुत्री कन्हैयालाल पत्नी लोकेश जाति धाकड़ निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)।
  4/2. शोभाग पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
  4/3. रामलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
  4/4. मनराज पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
  4/5. फोरूलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
  4/6. ममता पुत्री रामरतन पत्नी फोरूलाल जाति धाकड़ निवासी भजनेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(5). रामविलास पुत्र कजौड़ जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

(6). रसीलाल पुत्र कजौड़ जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(7). रामभज पुत्र कजौड़ जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(8). शंकर पुत्र कजौड़ जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
(9). जगदीशी पुत्री कजौड़ जाति धाकड़ निवासी सौंप तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)।
(10). सुक्खा पुत्र रामकुंवार जाति धाकड़ निवासी फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अतंर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां
प्रकरण संख्या 42/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021

उपस्थित वक्त बहस–(1). महेश योगी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). हेमेन्द्र सिंह आसावत– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक 06.01.2023**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) एवं सपठित धारा 68–क के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा जरखोदा तहसील नैनवां की आराजी संख्या 1326 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 का शेष 1/2 हिस्सा निहित है। खातेदार रामकुंवार की मृत्यु हो चुकी है। जिसका वारिस गोदपुत्र सुक्खा है। जिसके नाम रामकुंवार ने वसीयत भी की है। उक्त वर्णित आराजीयात के अतिरिक्त रामकुंवार की शेष कृषि भूमियों पर सुक्खा के नाम इन्तकाल भी खुल चुका है परन्तु सद्भावना पूर्वक भूल की वजह से नकल पेश नहीं होने से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर इन्तकाल खुलने से रह गया। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का मौके पर बाहमी विभाजन करीब 70 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके पश्चिमी हिस्से की 1/2 भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से मे आई है व पूर्वी हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण संख्या

5 से 10 के हिस्से मे आई है। आराजी संख्या 1325 के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 है व आराजी संख्या 1315 का खातेदार अप्रार्थी संख्या 4 है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के पश्चिमी–उत्तरी कोने पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ट्यूबवेल भी लगा रखी है व विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है साथ ही क्वाटर भी बना रखी है जो करीब 15 वर्षो से विद्यमान है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की आराजीयात मे जाने का एकमात्र रास्ता सकतपुरा से जरखोदा जाने वाले रास्ते से फटकर आराजी संख्या 1315 व आराजी संख्या 1325 के बीच की भूमि मे से होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि मे जाता है। उक्त रास्ता करीब 10 फुट चौड़ा है, जिसमे होकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने ट्रेक्टर बैलगाड़ी, हल, कूली आदि लेकर कई वर्षो से आवागमन कर रहा है और रास्ते का सुखाधिकार भी प्राप्त कर चुका है। इस रास्ते को वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट–अ मे लाल स्याही से बता रखा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे जाने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। परन्तु उक्त रास्ता संकड़ा होने से आवागमन मे बाधा उत्पन्न होती है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं की आराजी का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने–जाने हेतु विद्यमान उक्त रास्ता जिसे अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध किया जा चुका है, उक्त रास्ते को बहाल करवाया जाकर एवं 30 फुट चौडा करवाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे उक्त रास्ते से आने–जाने मे दखलंदाजी पैदा नहीं करे और न किसी अन्य से करावें। साथ ही उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन कर पश्चिमी हिस्से की 1/2 कृषि भूमि को जमांबदी व राजस्व रेकॉर्ड मे पृथक रूप से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर पृथक से राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

2. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा मय विशेष निवेदन प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 3 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया जाकर पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली

वास्ते साक्ष्य नियत की गई। उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दिनांक 19.04.2021 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 1315 मे से कायम किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है।

4. अधिवक्ता अपीलांट अप्रार्थी सख्या 2 की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

5. न्यायहित मे अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पाडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

7. अधिवक्ता अपीलांट विपक्षी संख्या 2 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु आराजी संख्या 1326 के उत्तरी कोने से होता हुआ रास्ता मौके पर पहले से ही विद्यमान है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काफी समय से करता चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता पहले से ही अस्तित्व मे होने पर नया रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अस्वीकारोक्ति के जवाबदावे मे अंकित उक्त तथ्य को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया जाकर अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की आराजीयात मे से नया रास्ता कायम किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे वांछित रास्ते को चौड़ा किया जाकर बहाल किये जाने की दाद चाही है । परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे नया रास्ता कायम किया जाना अंकित किया है जो विधिपूर्वक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे भूमिधारी राज्य सरकार को पक्षकार कायम किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा निर्णय पारित किया है। तहसीलदार नैनवां द्वारा विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है जो विधि विरूद्ध है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जो धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। प्रकरण जो वाद के रूप मे अलग धाराओं मे प्रस्तुत हुआ उसे किस कारण प्रार्थना–पत्र मानकर निस्तारित किया गया, इसका उल्लेख अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे नहीं किया है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 की साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय पारित किया है। उक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे अपीलांट अप्रार्थी सख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2002(1) पेज 420, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1126 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट अप्रार्थी संख्या 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2021 खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलांटगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार

नैनवां से विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता अपीलांट विपक्षी संख्या 2 की आराजी मे विद्यमान होना व मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजीयात मे आने जाने हेतु एकमात्र निकटतम व आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजीयात मे विद्यमान होने एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट विपक्षी संख्या 1 की आराजीयात मे से रास्ता कायम किये जाने की विधिवत निर्णय व डिक्री पारित की है, जो न्यायोचित होने से अपीलांट विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादी ने अन्य न्यायोचित सहायता भी मांगी है जिसके आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुतोष प्रदान किया है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19.04.2021 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा–68 क एवं 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। इसी अनुरूप वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो मुख्यतः रास्ते को चौड़ा करने एवं सुखाधिकार मे किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करने के सन्दर्भ मे किया गया। दिनांक 04.10.2012 को 6 वाद बिन्दु(तनकीयात) विरचित किए गए। प्रकरण मे प्रदर्श, शपथ–पत्र, गवाह, बयान तथा जिरह भी हुई है। प्रकरण लगभग अन्तिम चरण मे था तथा उसका निर्णय किया जा सकता था। यहॉं यह विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वाद जिसमे काफी प्रकियात्मक कार्यवाही हो चुकी थी वह अचानक वाद से प्रार्थना पत्र की संक्षिप्त जांच कार्यवाही मे किस कारण बदल गया ? हम यहां अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं है कि वादी द्वारा जो प्रार्थना वाद मे चाही गई थी उसके बिन्दु संख्या चार में अंकित है कि अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे । यदि हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क को माने भी तो अधीनस्थ न्यायालय को सकारण आदेश पारित करना चाहिए था कि क्यों एवं किस कारण से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं के स्तर पर प्रकरण के वाद अंतर्गत धारा–68 क एवं 251 को प्रार्थना पत्र धारा

न्यायालय को सकारण आदेश पारित करना चाहिए था कि क्यों एवं किस कारण से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं के स्तर पर प्रकरण के वाद अंतर्गत धारा–68 क एवं 251 को प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे परिवर्तित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 01.05.2019 को प्रस्तुत वादी का प्रार्थना पत्र संलग्न है जो कि विवादित रास्ते की मौका स्थिति मंगवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने किस आधार पर तथा किन प्रावधानों के तहत दिनांक 29.07.2019 को तहसीलदार नैनवा से प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संबंध मे रिपोर्ट प्राप्त की । यदि तकनीकी रूप से 251–ए के प्रावधानों के संदर्भ मे भी देखा जाए तो पत्रावली मे दिनांक 19.08.2019 की पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है तथा तहसीलदार नैनवां के पत्र मे पटवारी रिपोर्ट अनुसार पत्र प्रेषित करने का अंकन है। जबकि धारा 251–ए मे यह आज्ञापक प्रावधान है कि भू–अभिलेख निरीक्षक से कम रैंक के कार्मिक द्वारा तैयार रिपोर्ट को आधार नहीं बनाया जाए। अतः अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण के निस्तारण मे विधिक तथा प्रकियात्मक त्रुटि की है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां प्रकरण संख्या 42/2012 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2021 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं मे परीक्षण कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर विधिसम्मत रूप से नवीन पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 31.01.2023 को उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)